न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 90 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 242

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
थानाधिकारी पुलिस थाना पीलवा।		1. श्री छिगनाराम पुत्र श्री गणेशराम 2. श्री हेमाराम पुत्र श्री मेंवाराम 3. श्री भागुराम पुत्र श्री नानुराम जातियान जाट निवासीगण मण्डोवरी पुलिस थाना पीलवा–नागौर।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 5, 6, 11क राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 पुलिस थाना पीलवा

–:निर्णयः– **दिनांक : 12.11.2025**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से हैः– थानाधिकारी पुलिस थाना पीलवा ने इस्तगासा अन्तर्गत धारा 05, 06, 11क राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 17.03.2015 की रात्री को ग्राम मण्डोवरी में स्थित ग्राम पंचायत कालेटडा की आबादी भूमि खसरा सं0 328 पर गैरसायलान द्वारा सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के श्री तेजाजी महाराज का चबुतरा का निर्माण कर मुर्ति स्थापित की गई है। उक्त धार्मिक स्थल का निमार्ण ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है। जिसको हटवाया जाना ही उचित रहेंगा। अतः इस्तगासा हाजा गैर सायलान के विरूद्ध धारा 5, 6, 11क राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 में पेश न्यायालय कर निवेदन है कि बाद शमायत सलुक कानुनी फरमावे ताकि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

उक्त प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना पीलवा द्वारा भी प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांकः–3191 दिनांक 28.10.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में मौके पर तेजाजी महाराज का चबुतरा पर तेजाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है व बाहर चारों तरफ तार बन्दी की हुई है एवं मौके पर शान्ति है तथा ना ही इस सम्बन्ध में वर्तमान में ग्राम पंचायत में विवाद होना किसी ने नहीं बताया है। प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/313 दिनांक 08.08.2[illegible] के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 16:00:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी परबतसर से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी परबतसर के पत्रांक कोर्ट / 2025 / 663 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी परबतसर व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण स्थल (आबादी) वर्तमान में एक छोटा चबूतरा निर्मित हैं जिस पर एक छोटी तेजाजी की मूर्ति स्थापित की हुई हैं। उक्त स्थल पर किसी प्रकार की पूजा—पाठ, आरती या अन्य कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा हैं और न ही किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा है। दिनांक 17.03.2015 के पश्चात् उक्त स्थल पर अन्य कोई निर्माण नहीं किया गया हैं, लगभग 400 वर्गगज भूमि पर मौके अनुसार जाली लगाया होना पाया गया, जो किसी समाज विशेष के लोगों द्वारा लगाई हुई बताई गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **12.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

M. Khadgawat 12-11-2025
(डॉ० महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना—कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना—कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested